JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

लैंगिक असमानता : महिलाओं की स्थिति

अंजू रानी (रिसर्च स्कॉलर)
ओम स्ट्रलिंग ग्लोबल वि.वि.
समाजशास्त्र विभाग, हिसार, हरियाणा

डॉ. दीपिका देशवाल
असिस्टेंट प्रोफेसर
ओम स्ट्रलिंग ग्लोबल वि.वि.
समाजशास्त्र विभाग, हिसार, हरियाणा

सारांश

सबसे पहले समाज द्वारा नारी को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने चाहिए। उसे अधिकारों से इसलिए वंचित किया जाता है कि वो 'एक नारी' है। भारतवर्ष में प्राचीनकाल में किसी प्रकार का लिंगभेद नहीं था। लेकिन धीरे–धीरे विदेशी आक्रमणों और संस्कृति के पतन के कारण लिंग–भेद किया जाने लगा। पुरुषों को महिलाओं से उच्च स्थान प्राप्त हो गया तथा महिलाओं का स्थान समाज में गौण हो गया। इन सबमें विदेशी आक्रमण तथा मुस्लिम आक्रमणों एवं अनेकों प्रकार की कुप्रथाओं ने नारी की स्थिति समाज में बदत्तर करने की कड़ी में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। इन सभी कारणों की वजह से धीरे–धीरे नारी की स्थिति अपने ही घरों एवं समाज में बद से बदत्तर होती चली गई।

भारत में मुगल सत्ता के बाद अंग्रेजों का आगमन हुआ मगर उस समय तक औरतों की हालत बद से बदत्तर हो चुकी थी। लेकिन धीरे–धीरे कुछ समाज सुधारकों के प्रयासों एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयास किए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत सरकार ने भी अनेकों योजनाएं महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए बनाई। लेकिन धीरे–धीरे नारी अशिक्षा, सती प्रथा, विधवा विवाह जैसे कुछ सामाजिक समस्याएं वर्तमान में नहीं रही तो उनके अलावा कई ऐसी समस्याएं नारी जीवन में आई कि आज के समाज को पढ़ा–लिखा एवं व्यवस्थित कहने में संकोच होता है, क्योंकि 'दहेज प्रथा' जैसी कोई बीमारी प्राचीन समय में नहीं थी। यह समस्या इस पढ़े–लिखे सभ्य समाज की उपज है। ठीक इसके विपरीत नारी के प्रति होने वाली घटनाएं जो घर की चार–दीवारी में

निरंतर घटती रहती हैं। उन पर इस समाज के पढ़े–लिखे ठेकेदारों की राय ली जाएं। दहेज जैसे बीमारी और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों का जिम्मेदार कौन है? दहेज के लिए भी औरत को ही जलना पड़ता है तथा भ्रूण हत्या मे भी कन्या को ही मरना पड़ता है वो भी अपनों के हाथों से ही।

समाज में इस तरह की घटनाएं सर्वत्र घटित होती है। मगर यह पढ़ा–लिखा समाज इन घटनाओं के प्रति अफसोस तो व्यक्त कर सकता है मगर रोकरने के कोई ठोस उपाय नहीं कर रहा है। जब अपने ही अपनों के दुश्मन हो तो अच्छाई की उम्मीद भी किससे की जा सकती है।

संकेत शब्द : कुरीतियाँ, ठेकेदारों, कन्या भ्रूण हत्या, अधिकार, घटनाएँ, समानता।

प्रस्तावना

लैंगिक समानता पर हाल में श्री चतरसिंह मेहता द्वारा प्रकाशित लेख 'मानव विकास और महिलाएं' महत्वपूर्ण है इनके अनुसार विश्व की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, पर उन्हें पुरुषों के समान अवसर प्राप्त नहीं हैं, विश्व के गरीब देशों में 70 प्रतिशत और निरक्षरों में दो–तिहाई महिलाएं ही हैं। वे केवल 14ः प्रशासनिक पदों पर है और 10ः सांसद महिलाएं विधानसभा सदस्य हैं। कानून की दृष्टि से यह असमानता है। उन्हें पुरुषों की अपेक्षा अधिक समय तक काम करना पड़ता है तथा अधिकांश कार्य की कोई कीमत नहीं आँकी जाती।

समाज में महिलाओं को पुरुषों की बराबरी के अधिकार प्राप्त नहीं है। महिला पुरुष में प्रकृति द्वारा ज्ञान, व्यवहार स्वभाव आदि में अन्तर होता है। पुरुष लैंगिक असमानता में मुख्य भूमिका अदा करता है। लगभग हर समाज में जीवन के हर पहलू में अपना निर्णय सर्वोपरि रखता है। यहाँ पुरुषों की यह जिम्मेवारो बनती है कि वह महिला जीवनसाथी के साथ निजो एवं सार्वजनिक जीवन में समान व्यवहार करें। ऐसा करने के बावजूद ही लैंगिक समानता में सुधार होगा और परिवार एवं सामाजिक जीवन में आनंद की वृद्धि होगो, लेकिन यह हमारे देश का और विश्व के अन्य देशों का भी दुर्भाग्य है कि वहाँ लैंगिक असमानता व्याप्त है।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाओं में काफी परिवर्तन एवं सुधार तेजी से हुआ है। परंतु आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति बहुत धीमी है। विश्व में बहुत सारे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, जिनमें 70ः महिलाएं हं। यह श्रम बाजार एवं परिवार में उनकी निम्न स्थिति की ओर इशारा है।

सामाजिक एवं पारिवारिक परिवेश (भेदभाव)

यह तो कहना गलत न होगा कि इस पुरुष प्रधान समाज में पुरुष अपनी झूठी शान के

लिए स्त्री को केवल अपने उपयोग की वस्तु समझता है वह भूल जाता है कि जिसने जन्म दिया है वह भी एक स्त्री है, जिससे उसका वंश आगे बढ़ता है उसके जीवन की संगीनी भी एक स्त्री है। पुरुष की कोई भी आवश्यकता स्त्री के बिना अधूरी है। जब पुरुषों की सारी आवश्यकताएं पूरी करने में नारी बराबर की भूमिका निभाती है तो उसे बराबरी का दर्जा देने में पुरुषों के अहम् को चोट लगती है। जब संविधान में समानता है तो समाज में क्यों नहीं? समाज तो बहुत दूर की बात है नारी के साथ भेदभाव तो घर की चहारदीवारी से शुरू हो जाता है।

घर और समाज में लड़के और लड़कियों में अन्तर बहुत कम आयु से शुरू हो जाता है, उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्रायः खेलने के लिए कारें दो जाती है और लड़कियों को गुड़ियाँ। दोनों ही खिलौने आनंददायक हो सकते हैं, फिर लड़कियों को गुड़ियाँ और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती है? खिलौने, बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे, और उनका भविष्य अलग–अलग होगा। अगर विचार करें, तो यह अंतर प्रायः दिन–प्रतिदिन की छोटी–छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़कों को पार्क में कैसे–कैसे खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से – यह सब बताने के लिए कि जब वे बड़े होकर स्त्री पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएँ होगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों का चुनाव या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ सकता है।

घरेलू काम का मूल्य

आम तौर पर देखा गया है कि प्रत्येक प्रकार के समाज में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती हैं, जैसे– देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। फिर भी घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्त्वपूण नहीं माना जाता है। घर पर कार्य करने वाली महिलाओं का दिन सुबह पाँच बजे से शुरू होकर देर रात यानि जब तक पूरा परिवार न सो जाए अर्थात् ग्यारह या बारह बजे तक चलता है। लेकिन परिवार के सदस्यों द्वारा यह मान लिया जाता है कि ये तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इनके लिए उन्हें पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। समाज इन कार्यों को महत्त्व नहीं देता।

बहुत कम घरों में देखा गया है कि पुरुष या लड़के घर पर घरेलू कार्यों में मदद करते हो? अन्यथा घर पर कार्यों को करने की जिम्मेदारी महिला या बालिकाओं पर ही है। इन कामों में बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, प्रैस आदि करना, खाना बनाना,

सबकी जरूरतों का ध्यान रखना, ये सब काम करने के बदले घरेलू औरतों को कमाने वाली औरतों की बजाए ज्यादा सुनना पड़ता है क्योंकि उनके इन कार्यों का समाज ने कोई मूल्य निर्धारण नहीं किया है।

लेकिन जब इन्हीं कामों के बदले किसी अन्य महिलाओं का बालिकाओं को काम पर रखा जाता है तो उन्हें भी कम मेहनताना दिया जाता है। तथा उनको समाज में उचित सम्मान नहीं मिल पाता। वे घृणा एवं तिरस्कार का शिकार होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो महिलाओं की स्थिति और भी बद्दतर है। उन्हें दूर–दूर से सिर पर पानी के मटके ढोकर लाने पड़ते हैं, सिर पर लकड़ियों के भारी–भारी गट्ठर उठाने और दूर से ढोने पड़ते हैं। इन सबके साथ साथ घर पर रहकर घर के कामों जैसे– कपड़े धोना, सफाई करना, वजन उठाने के कामों में झुकने से, उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। गरमी एवं बारिश के दिनों में धुएं वाले चूल्हों पर काम करते वक्त घण्टों पना और धुएं में घुटना आदि शामिल हैं उनके बाद पशुओं की देखभाल से लेकर पुरुषों के साथ खेतों में भी काम करती हैं और कुछ स्त्रियां ये सारे काम करने के बावजूद पुरुषों के साथ दिहाड़ी मजदूरी आदि कार्य भी करती हैं। ये सारी कार्य भारी एवं थकाने वाले होते हैं जबकि पुरुष आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा कार्य कर सकते हैं।

उपकरण एवं विधियाँ

पस्तुत शोध में दिल्ली के नजफगढ़ तथा झड़ौदा कला गाँव का अध्ययन कर विश्लेषण किया गया है। दोनों खण्डों को मिलाकर लगभग 1000 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया जिनमें से 200 महिलाओं तथा उनके परिवार के सदस्यों का साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार से पहले अन्वेषणात्मक तथा वर्णनात्मक विधि द्वारा समस्या से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया गया हैं तथा आने वाली परिस्थितियों को नियंत्रित करके साक्षात्कार के लिए उत्तरदाताओं को तैयार किया गया।

साहित्यिक समीक्षा

घोष, ए.के. (1993) ने महिला अपराध नामक पुस्तक में महिला संबंधी राज्यवर सर्वेक्षण पर अध्ययन किया है, जिसे 15 अध्यायों में प्रस्तुत किया है। इसमें महिलाओं पर होने वाले पारिवारिक अत्याचारों का विश्लेषण किया गया है। बलात्कार, दहेज, उत्पीड़न, बालिका वध, महिला छेड़छाड़ तथा अपहरण। आदि अपराधों का वर्णन किया है।

मोना ए. केलकर (1995) महिलाओं की अधोनता नामक पुस्तक में महिला उत्पीड़न पर एक नवीन दृष्टिकोण को अपने अध्ययन में केन्द्रित किया है।

जस्टिस एम. फातिमा बीबी (1991) इन्होंने अपने अध्ययन में महिला कानूनों और उनके फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में होने वाले परिवर्तनों की विस्तृत विवेचना की है।

शर्मा, रानी बेला ने अपनी पुस्तक 'वुमेन मैरिज फैमिली' में महिलाओं के विरूद्ध पारिवारिक

हिंसा का अध्ययन किया है।

रॉय एवं अन्य (2015) ने अपने शोध में 'क्राइम अगेंस्ट वुमेन' पर अध्ययन किया। अध्ययन के निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता ह कि सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए प्रयासों के बाद घरों में पतियों द्वारा पत्नियों के साथ की गई मार–पीट के मामलों में कमी नहीं आई है और यह समस्या सभी वर्ग, जाति, धर्म और सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की महिलाओं में देखने को मिलती है।

उद्देश्य

1. घरेलू एवं कामकाजो महिलाओं द्वारा किए गए घरेलू कार्यों के मूल्य का अध्ययन करना।
2. समाज में नारी और पुरुषों के अधिकारों की समानता का अध्ययन करना।
3. नारी द्वारा घर और बाहर किए गए कार्यों का अध्ययन।

परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी संख्या –1

महिलाओं का जाति के आधार पर वर्गीकरण किया गया, जिसमें निम्न प्रकार के आँकड़े शामिल हैं।

जाति	संख्या	प्रतिशत
उच्च जाति	66	33:
पिछड़ी जाति	79	39.5:
अनुसूचित जाति	55	27.5:
कुल योग	200	100:

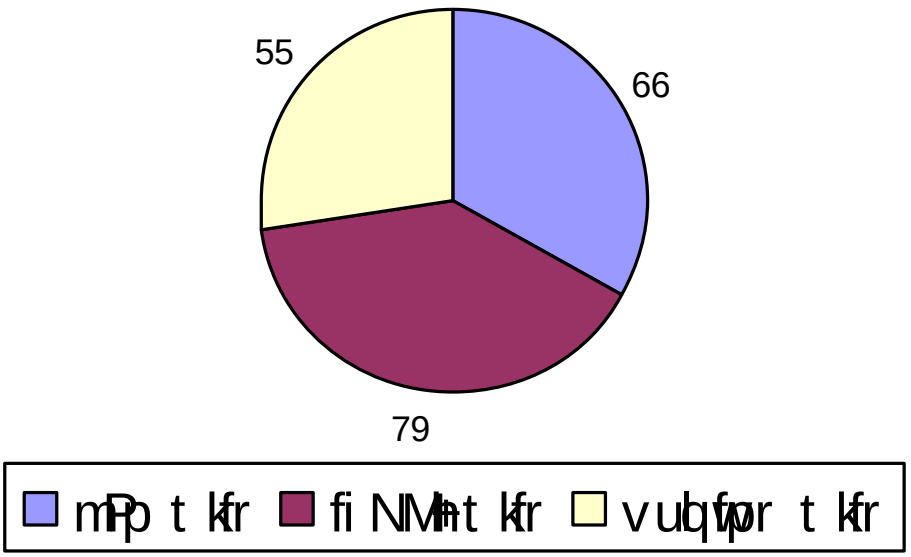

सारणी संख्या 1 के अध्ययन से यह पता चलता है कि पीड़ित उत्तरदाताओं की जातिगत

रूप से अध्ययन में शामिल है। प्रत्येक जाति चाहे उच्च हो या पिछड़ी जाति हो या अनुसूचि जाति से संबंधित हो घरेलू हिंसा सबमें पाई जाती है। प्राप्त आंकड़े उत्तरदाताओं के द्वारा इकट्ठे किए गए हैं। इनमें उच्च वर्ग की महिलाएं शामिल की गई जिनसे बात करने पर उनकी स्थिति का पता लगा, वे घरेलू हिंसा से पीड़ित है तथा अपनी स्थिति के बारे में किसी को कुछ भी बताने में झिझकती हैं उनमें डर पाया गया कि कहीं घर की बात बाहर न चली चजाएं। इसी प्रकार की समस्या पिछड़ी अर्थात व्ब में जाति की महिलाओं में देखने को मिली। कई सारी उत्तरदाताओं इस प्रकार जवाब देने से भी डर रही थी। व्ब जाति में कुल मिलाकर 39.5ः महिलाएं शामिल थी जिनमें कुछ महिलाएं इस प्रकार की मार–पीट और गाली–गलौच को अपना भाग्य मान चुकी थी और किसी से कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। अनुसूचित जातियों की महिलाओं की बात करें तो वहाँ पर स्थिति बहुत बदत्तर थी। वे हर तरह से सताई जा रही थी उनके पति तथा परिवार के अन्य सदस्यों में उनके लिए किसी प्रकार की संवेदनाएं नहीं थी। वे घोर अपमानित होकर जीवन जी रही थी।

सारणी संख्या दो के अध्ययन से पता चलता है कि शोध के अन्तर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं सभी जातियों में पाई जाती है। इसमें 55 महिलाएं ऐसी हैं जो उच्च जाति से संबंध रखती हैं तथा 66 महिलाएं पिछड़ी जाति और 79 महिलाएं अनुसूचित जाति से संबंधित हैं। अर्थात् साक्षात्कार में भाग लेने वाली महिलाओं का जाति के अनुसार प्रतिशत क्रमशः 33ःए 39ण्5ः और 27.5ः है।

सारणी संख्या–2

पीड़ित महिलाओं की पारिवारिक संरचना

पारिवारिक संरचना	संख्या	प्रतिशत
एकाकी परिवार	88	44ः
संयुक्त परिवार	102	51ः
विस्तृत परिवार	10	5ः
कुल योग	200	100ः

सारणी संख्या–3
पीड़ित महिलाओं का निवास स्थान

निवास	संख्या	प्रतिशत
शहरी	96	48:
ग्रामीण	104	52:
कुल योग	200	100:

महिलाओं के परिवार के आकार तथा उनके निवास स्थान की जानकारी का विवरण सारणी संख्या–2 और 3 में दिया गया है। परिवार के आकार के प्रति उनकी अभिरूचि परिवार नियोजन, परिवार कल्याण और आधुनिक अभिवृत्तियों को परखने के लिए अध्ययन में उनके परिवार की संख्या के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रथम श्रेणी में परिवार के सदस्यों की संख्या चार तक सीमित है। (जिसमें हम दो हमारे दो) के सिद्धांत में प्रतिपादन है। द्वितीय श्रेणी में परिवार के सदस्यों की संख्या छः तक है तथा तीसरी श्रेणी में आठ सदस्यों की व्याख्या तथा चौथी श्रेणी में उस परिवार की उत्तरदाताओं को शामिल किया गया है जिनकी सदस्यों की संख्या आठ से अधिक है। क्योंकि ग्रामीण परिवेश में अभी भी विस्तृत परिवारों की संख्या देखने को मिलती है। उत्तरदाताओं के परिवार के प्रकार और आकार में एक सह–संबंध दिखाई दे रहा है जिन परिवारों के सदस्यों की संख्या 4 तक है उन्हें एकाकी परिवार की संख्या दी गई है। जिसमें पति–पत्नी और उनके दो बच्चे शामिल हैं ऐसे परिवारों की संख्या 88 अर्थात् 44: है। जिसमें जातिगत संख्या अलग–अलग है।

सारणी संख्या–3 के अध्ययन से हमें उत्तरदाताओं के शहरी और ग्रामीण परिवेश का पता चलता है। महिलाएं चाहे शहरों से संबंधित हो चाहे गाँव से उनकी प्रताड़ित होने की संख्या कम ज्यादा हो सकती है परंतु ऐसा नहीं है कि शहरों में निकलने के बावजूद उनके खिलाफ हिंसा न हो। शहरों में निवास करने वाली पीड़ित महिलाओं की संख्या 96 है जो कि 48: है तथा ग्रामीण परिवारों की पीड़ित महिलाएं 200 में से 104 है। जो कि कुल संख्या का 52: है।

सारणी संख्या–4

पारिवारिक आय के स्रोत

आय के स्रोत	संख्या	प्रतिशत
नौकरी	48	24:
व्यवसाय	65	32ण्5:
कृषि	46	23:
अन्य	41	20ण्5:
योग	200	100:

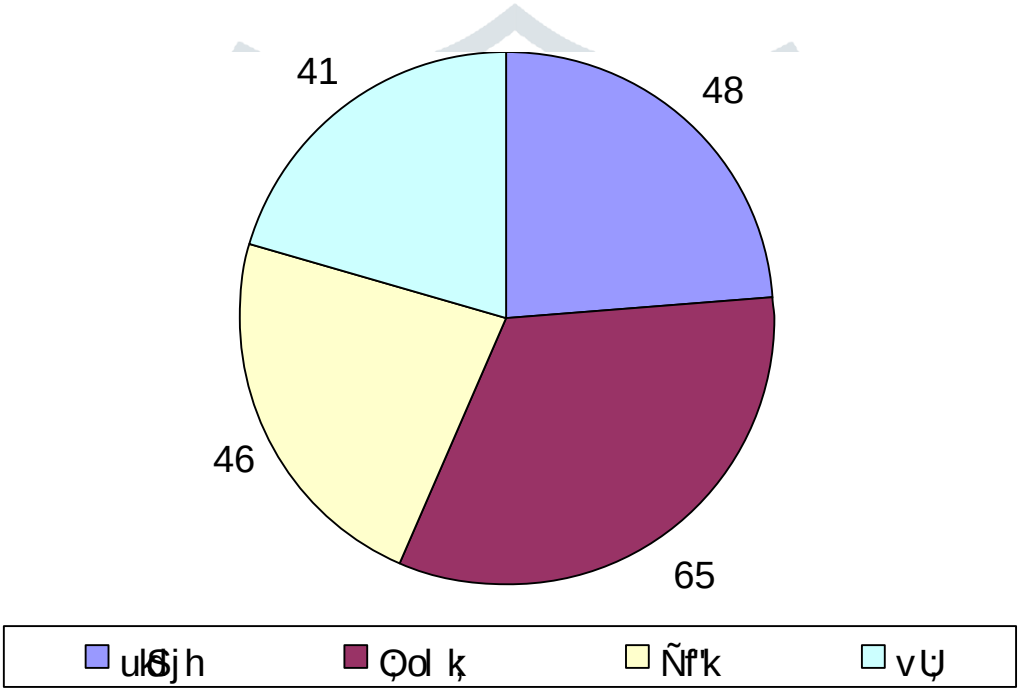

सारणी संख्या–4 के अध्ययन से हमें महिलाओं के पारिवारिक आय के स्रोतों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें 48 पवरिवारों को नौकरी 65 परिवार व्यवसायिक संबंधी है तथा 41 परिवार अन्य कार्य जैसे मजदूरी, फेरी, ट्यूशन सेवाएं हैं तथा 46 परिवार केवल कृषि एवं पशु–पालन के द्वारा अपनी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं।

निष्कर्ष

- सुधार लाने के लिए सबसे पहले कदम के तौर पर यह आवश्यक होगा कि 'पुरुषों को महिलाओं के खिलाफ रखने' के स्थान पर पुरुषों को इस समाधान का भाग बनाया जाए। मर्दानगी की भावना को स्वस्थ मायनों में बढ़ावा देने और पुराने घिसे–पिटे ढर्रे से छुटकारा पाना अनिवार्य है। अर्थात् पुरुष वर्ग अपनी मर्दानगी महिला वर्ग पर अनावश्यक रूप में न दिखाकर घर–परिवार या कार्य–स्थल पर एक स्वस्थ माहौल तैयार कर, पुरानी मानसिकता

को तैयार करने वाली भूमिकाओं को त्यागकर नए जीवन की शुरूआत करने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा।

- सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों को घरेलू हिंसा से संरक्षण देने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 को संसद से पारित कराया है। इस कानून में निहित सभी प्रावधानों का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए यह समझना जरूरी है कि पिड़ित कौन है?

संदर्भ

1. तिवारी डी.के. एडवोकेट (2007), 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण' अधिनियम 2006, द्विभाषी संस्करण, आलिया, लॉ' एजेंसी, इलाहाबाद।
2. सक्सेना, आसभा पांडेय, बृजेश (2009), 'उच्च शिक्षित महिलाएं' राधा कमल मुखर्जी, चिंतन एवं परंपराएं', अंक–2, जुलाई–दिसंबर
3. भारतीय मंजू एवं चौहान नीलम, (2009), 'महिलाओं के प्रति स्वरूप', राधा कमल मुखर्जी, चिंतन एवं परम्परा, जुलाई–दिसंबर, पृ. 68
4. पाण्डेय कीर्ति – घरेलू हिंसा एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, गोरखपुर
5. इंडियन प्रेस, हवेनसांग का भारत पर आक्रमण
6. भारतीय इतिहास पर टिप्पणियाँ (664–1858)
7. कोटेड बाई पूनम सिंह इन हर पीएच.डी. थेसिस, हायर सेकेंडरी वर्किंग वुमन इन वाराणसी सीटी : ए सोशियोलोजिकल स्टडी : बी.एच.यू. वाराणसी।
8. मुखजी डॉ. रवीन्द्र नाथ (2014) सामाजिक शोध व सांख्यकि, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली।
9. श्रीवास्तव अर्चना सिंह (2009) रामगढ़ ताल, एक विहंगावलोकन, एन्वायरमेंटल एक्शन ग्रुप।
10. कपूर डॉ. आर, एवं श्रीवास्तव डॉ. अरूण (2004) सामाजिक शोध की पद्धतियाँ, राजेन्द्रा पब्लिकेशन गोरखपुर, पृ. 129–130–133
11. पी.वी. यंग (1960) साइनटिफिक सोशल सर्वे एण्ड रिसर्च एशिया पब्लिकेशन्स, मुंबई, पृ. 13–20
12. आहुजा राम (1987) 'क्राइम अगेंस्ट वुमेन' रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. 10–12